न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– **91/2021 अपील सू.प्र.**

उनवान

श्री नवरतन जैन पुत्र शंकर लाल जैन निवासी मारूती कॉलोनी, भीलवाड़ा।	**बनाम**	लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), भीलवाड़ा
––अपीलार्थी		––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

उपस्थित :–प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक :07.12.2021

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा के विरूद्ध दिनांक 10.11.2021 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर संख्या 52 एफ 451121 राशि 10.00 रूपये के साथ एक आवेदन दिनांक 04.10.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा को प्रेषित किया जो लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा को दिनांक 06.10.2021 को प्राप्त हुआ।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 29.11.2021 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा द्वारा पत्रांक सूचना प्रकोष्ठ/2021/20632 दिनांक 03.12.2021 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं –

1. अपीलार्थी के आवेदन–पत्र में चाही गयी सूचना दो भिन्न कार्यालयों से संबंधित होने से राज्य सरकार द्वारा आरटीआई ऑनलाईन पोर्टल पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की जानकारी हेतु जारी की गई हस्त पुस्तिका में उल्लेखित अनुसार अपालीर्थी का आवेदन–पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के नियमानुसार सूचना एक से अधिक लोकसूचना अधिकारियों से संबंधित होने से अन्तरित नहीं कर अधिनियमानुसार सूचना अपालीर्थी को सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ कार्यालय हाजा के पत्रांक 20571 दिनांक 08.10.2021 से जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित कर दी गयी है। परन्तु अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र पर अंकित पते पर भिजवाई गई डाक, प्रेषिति को नहीं खोजा जा सकता मय टिप्पणी के पुनः लौट के दिनांक 13.10.2021 को कार्यालय हाजा में प्राप्त हुई।
2. आवेदन पत्र पर अपीलार्थी का कोई सम्पर्क नम्बर या ई–मेल पता ना होने से अपीलार्थी से सम्पर्क साधना संभव नहीं है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रत्यर्थी के स्तर पर किसी भी प्रकार की सूचना/जवाब अपीलार्थी को उपलब्ध कराना शेष ना होने तथा अपीलार्थी का कोई सम्पर्क सूत्र ना होने से अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।

आदेश आज दिनांक 07.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा